खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव के चयन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या–1258/60–1–17–1/13(71)/06 महिला एवं बाल विकास विभाग–01 लखनऊ दिनांक–05.06.2017 एवं निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 के पत्र संख्या–सी 1337/म0क0निदे0/प्रोबे0–04/खु0आ0गृ0/2017–18 दिनांक 17 अगस्त, 2017 जिसके द्वारा कहा गया है कि समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के अधीन स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनो के माध्यम से खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव का चयन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि जनपद ललितपुर में किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के तहत स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनो के माध्यम से खुले आश्रय गृह के संचालन हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। स्वयंसेवी संगठन को किशोर न्याय अधिनियम के मानक के अनुसार कार्य करना होगा। अतः इच्छुक स्वयंसेवी संगठन को अपना प्रस्ताव दिनांक 07.10.2017 को सायं 05 बजे तक कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर को प्राप्त कराना होगा। दिनांक 07.10.2017 को सायं 05 के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

13.9.17

जिला प्रोबेशन अधिकारी
ललितपुर

जिलाधिकारी
ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

पत्रांक– 838 /**जि0प्रो0का0/प्रेस विज्ञप्ति/ 2017–18 दिनांक** 14 **सितम्बर,2017**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2–निदेशक महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3–उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी झांसी मण्डल झांसी।
4–एन0आई0सी0 ललितपुर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति समस्त संलग्नको सहित अपडेट करे।
5–जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को इस आश्य से कि उक्त विज्ञप्ति व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रो में कम से कम स्थान में पठनीय प्रकाशित कराते हुए उसका बिल निर्धारित शासकीय दरो के आधार पर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी ललितपुर को उपलब्ध करायें।

14/9

जिलाधिकारी
ललितपुर।

Exit Fullscreen

महत्वपूर्ण / ई–मेल

संख्याः– 1337 / म0क0निदे0 / प्रोबे0–04 / खु0आ0गृ0 / 2017–18

प्रेषक,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक : 11 अगस्त, 2017

विषय–आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत् स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृहों के प्रस्ताव का चयन कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1258 / 60–1–17–1 / 13(71) / 06 दिनांक 05.06.2017(छाया प्रति संलग्न) जो आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत् समेकित बाल संरक्षण योजना(आई0सी0पी0एस0) के अधीन स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुला आश्रय गृह के चयन का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने संबंधी दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 05.06.2017 में विहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

जिला प्रोबेशन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

(राम केवल)
निदेशक।

जिलाधिकारी
ललितपुर
16.8.17

पृष्ठांकन व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग।
2. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अध्यक्ष / सदस्य बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।

(मुकुल माईती)
उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।

DN- 246
श्री......
कृपया तत्काल / ...... प्रकरण को ...... अवगत कराएं। ...... में समस्त ......

18.8.17
जिला प्रोबेशन अधिकारी
ललितपुर

Exit Fullscreen

संख्या–1258 / 60–1–17–1 / 13(71) / 06

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

निदेशक कैम्प
6541G
6/7/17

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 05 जून, 2017

विषयः– आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत स्टेट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृहों के प्रस्ताव का चयन कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–213 / म0क0निदे0 / प्रोबे0–04 / प्रो0अ0गृ0 / 2017–18, दिनांक 11.05.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार शासनादेश संख्या–839 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06, दिनांक 14.03.2011 में निम्न संशोधन किया जाता है कि " संबंधित शासनादेश में उपरोक्त प्रकिया का कड़ाई से पालन किया जाय। जनपद स्तर पर सार्वजनिक विज्ञापन के उपरान्त बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त सर्वश्रेष्ठ 01(एक) प्रस्ताव को जिला बाल संरक्षण समिति (डी0सी0पी0एस0) जिसका पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी है, के अनुमोदन / संस्तुति के साथ निदेशक, महिला कल्याण को प्रेषित किया जायेगा। " एवं शासनादेश संख्या–1274 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06, दिनांक 30.05.2011 में निम्न संशोधन किया जाता है कि " जनपद स्तर से विहित प्रकिया के अनुसार जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से सर्वश्रेष्ठ एक (अधिकतम 02 सर्वे के आधार पर) चयनित प्रस्ताव को आवश्यक अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर खुला आश्रय गृह के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए खुला आश्रय गृह का किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी की आख्या / संस्तुति के आधार पर कार्यवाही पूर्ण करायी जाय। तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा संबंधित संस्था के लिए पी0ए0बी0 में भारत सरकार द्वारा वांछित अभिलेख यथा किशोर न्याय

Exit Fullscreen

अधिनियम द्वारा संस्था का निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र, कर्मचारियों तथा बच्चों की सूची प्रेषित करते हुए अनुमोदन/केन्द्रांश की मांग की जाय। केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से खुला आश्रय गृह के लिए सहायता अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया जाय।"

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– /60–1–17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव